न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 79 / 2022

इस्माईल पुत्र इलियास जाति मेव निवासी नगला फिरोजपुर तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. इलियास पुत्र रूजदार जाति मेव निवासी नगला फिरोजपुर तहसील पहाडी (भरतपुर)
2 अरसीदा पुत्री इलियास पत्नि जुबेर
3 रतीमन पुत्री इलियास पत्नि आरिफ
4 रूकसीना पुत्री इलियास पत्नि सलीम
5 सवीला पुत्री इलियास पत्नि मुफीद उर्फ मुफ्फी जाति मेव निवासी ग्राम लुहिंगा कला तहसील पुन्हाना हरियाणा।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

7 श्री राजवीर सिंह दायमा वकील प्रार्थी
8 श्री सतीश बुन्देला वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5

दिनांक :– 23 / 09 / 2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 148 / 0.43, 97 / 0.36, 172 / 0.24, 204 / 0.17 हैक्टर बांके ग्राम नगला फिरोजपुर तहसील पहाडी में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 आराजी खसरा नम्बर 148,97, के सम्पूर्ण रकबा खसरा नम्बर 172 के 3 / 10 हिस्से का व खसरा नम्बर 204 के 1 / 5 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है और यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से के संबंन्धित पेश किया जा रहा है। इसलिए अन्य रिकॉर्ड में दर्ज सहकाश्तकारान को मुकदमें में पक्षकार नहीं बनाया गया है। क्योकि उनके विरूद्ध कोई दादरसी नहीं चाही गई हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का पिता व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 प्रार्थी की बहिनें है और आराजी प्रार्थी की पैतृक आराजी है जो पूर्व में प्रार्थी के दादा रूजदार के नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसे प्रार्थी के दादा ने अपने जीवन काल तक काबिज रहकर काश्त किया और पारिवारिक विवाद में भविष्य में न हो इसलिए आराजी को प्रार्थी के दादा ने अपने जीवन काल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य वाहिस्सा बराबर काश्त करने के लिये सौंप दिया । इस प्रकार प्रार्थी आराजी के अपने हिस्से पर बुजुर्गान के समय से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काष्त है। जिससे अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 जुआ व शराब में लिप्त रहता है जिससे उसकी सोचने व समझने की शक्ति क्षीर्ण हो चुकी है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 को बहलाफुसलाकर दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल कराना चाहते है और प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी से महरूम करना चाहते है। विवादित आराजी प्रार्थी की पैतृक आराजी है और आराजी पैतृक होने के कारण मुताबिक कानून अपने दादा को सम्पत्ति में प्रार्थी का वाहिस्सा बराबर हित निहित है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज होता चला आ रहा है जिसे कलमजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी पर मुताबिक कानून वाहिस्सा बराबर प्रार्थी अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 का नाम चला आ रहा जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 को बहलाफुसलाकर आराजी के सम्पूर्ण रकबे को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल कराना चाहते है तथा कब्जे काश्त प्रार्थी में मदाखलत मजाहमत करते रहते है। जिसकी बाबत अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को दिनांक 16/05/2022 को बांके ग्राम नगला फिरोजपुर में ऐलानिया धमकी दी है । यदि अप्रार्थीगण अपनी धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद से कदापि संभव ना हो सकेगी। विधि वजह प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। प्राईमा फैसाई केस , सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति मुझ प्रार्थी के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे कब्जे काश्त प्रार्थी में मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । किसी दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल ना करे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये दिनांक 10/08/2022 को जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है। आराजी पूर्व में पिता रूजदार की आराजी थी जिसके मरने के बाद 7 वारिसान थे इस प्रकार सभी को 1/7 हिस्सा प्राप्त हुआ है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 की माँ छुटनी व बहिन जगीला ,हसीना, रमजानो ने अपने हिस्से का हकत्याग दिनांक 31/05/2013 को व दो अन्य बहिने बशीरी, पिरोजी ने अपने हिस्से का हकत्याग दिनांक 17/07/2013 को उपपंजीयक के समक्ष तस्दीक हुआ ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 को पिता की सम्पत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का 1/7 हिस्सा प्राप्त हुआ व शेश रकबा 6/7 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी को कोई लेना देना नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है। अप्रार्थी संख्या 1 के बारे में प्रार्थी ने मद संख्या 4 में कथन किया है कि जिसके सोचने समझने की शक्ति क्षीर्ण हो चुकी है तथा जुआ व शराब में अप्रार्थी संख्या 1 लिप्त रहता है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 सुगर (डायबिटिज) मरीज है। जिसके शरीर में जगह–जगह घाव हो चुके है जिसकी वजह से अप्रार्थी संख्या 1 बीमार है तथा काफी परेशान है। इलाज कराने में काफी रूपया खर्च हो चुका है और अपनी पांच बहिनों चार पुत्रियों को लेने देने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 पर काफी कर्जा हो गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में स्वयं ने अप्रार्थी संख्या 1 का ही कब्जा होना स्वीकार किया है तथा आज भी अप्रार्थी संख्या 1 का ही आराजी पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी का कोई किसी प्रकार का संबन्ध नहीं है तथा प्रार्थी स्वयं गलत हरकतों में रहता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व अपनी जीति वृद्ध माता जरिना का किसी प्रकार से पालन पोशण नहीं कर रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की पांच बहिने व 4 पुत्रियों के भात–छोछक व अन्य प्रकार से कोई लेना –देना नहीं करता है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा ही उनको लेना–देना करता है। एक मुस्लिम के जीवन काल में उसका कोई भी वारिस विरासत के आधार पर उसकी सम्पत्ति में किसी भी प्रकार के कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी बांके ग्राम नगला फिरोजपुर तहसील पहाडी में स्थित है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संवंत 2075–78 आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र–पुत्रियां है। प्रार्थी ने आराजी को पैतृक आराजी बताया है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी के 1/7 हिस्से को पैतृक एवं 6/7 हिस्से को रजिस्टर्ड हकत्याग के माध्यम से स्वं अर्जित होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 1 सुगर (डायबिटिज) मरीज है। जिसके शरीर में जगह–जगह घाव हो चुके है जिसकी वजह से अप्रार्थी संख्या 1 बीमार है तथा काफी परेशान है। इलाज कराने में काफी रूपया खर्च हो चुका है और अपनी पांच बहिनों चार पुत्रियों को लेने देने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 पर काफी कर्जा हो गया है। साथ ही साथ अप्रार्थी संख्या 01 रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य भी अप्रार्थी संख्या 01 के वारिसान हैं। जिनके हित भी अप्रार्थी संख्या 01 के साथ निहित हैं। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

के हक हकूक मूल दावे में ही साक्ष्य एवं तनकी के आधार पर निर्णित होगे। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह निर्धारित हो चुका है कि आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है। एवं प्रार्थी के हक हकूक मूल दावे में ही निर्णित होगे। अगर अप्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 को भी भारी नुकसान होगा। क्योंकि उनका जीवन यापन भी अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि से ही होता है। अतः असुविधा भी प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में नियत है। अतः अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी टी0आई0 दिनांक 20.05.2022 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/09/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)